उ0प्र0 सतर्कता आयोग

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन

महत्वपूर्ण मा0 सतर्कता आयोग के निर्देश/शासनादेश

भ्रष्टाचार से बचें
रिश्वतखोरों को नकारें

उत्तर प्रदेश सरकार

उ0प्र0 सतर्कता आयोग

507, जवाहर भवन, पाँचवां तल, अशोक मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0

फोन नं0 : 0522-2286653

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन शासनादेश सं0 ए- 3001/24-सी0एक्स-(ए)-64	1-15
2.	अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 1625/स0आ0-2018 दिनाँक 11 अप्रैल, 2018	16-17
3.	अध्यक्ष सतर्कता आयोग के पत्र सं0 1625(I-III)/स0आ0/2018 दिनाँक 11 अप्रैल, 2018	18
4.	शासनादेश सं0-724/39-4-2016-42(340)/86, दिनाँक 17 मई, 2016	19-30
5.	शासनादेश सं0-1481/39-4-2014-42(340)/86, दिनाँक 20 अगस्त, 2014	31-36
6.	शासनादेश सं0-613/39-4-2013-42(340)/86, दिनाँक 24 अप्रैल, 2013	37-39
7.	शासनादेश सं0-1008/39-4-2012-42(340)/86, दिनाँक 15 मई, 2012	40-41
8.	शासनादेश सं0-1077/39-4-2008-42(340)/86, दिनाँक 29 सितम्बर, 2008	42-45
9.	शासनादेश सं0-3111/39-4-2001-42(340)/86, दिनांक 19 सितम्बर, 2002	46-55
10.	शासनादेश सं0-272/39-4-2001-42(340)/86-2001, दिनांक 02 फरवरी 2001	56-59
11.	शासनादेश सं0-1175/39-4-2001-42(340)/86, दिनाँक 25 मई, 2001	60-66
12.	शासनादेश सं0-1779/39-4-2001-42(340)/86, दिनाँक 25 जुलाई, 2001	67
13.	शासनादेश सं0-818/39-4-94-42(442)/90, दिनाँक 23 मई, 1994	68-70
14.	शासनादेश सं0-1262/39-4-91-41(425)/89, दिनाँक 30 अप्रैल, 1991	71-73
15.	शासनादेश सं0-705/39(4)-42(340)/86, दिनाँक 31 मार्च, 1990	74-77

संख्या ए-3001/24-सी0एक्स0- (ए)-64

प्रेषक,

श्री कौशल कुमार दास,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, 8 जुलाई, 1964 ई0

विषय-- **उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन**

महोदय,

गोपन (क) विभाग। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किये जाने के कारण राज्य सरकार ने भी इस मामले पर विचार किया है और इस राज्य में अपनाने के लिये निम्नलिखित योजना तैयार की गई:--

2-- एक निकाय स्थापित किया जायगा जो **उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग** कहलायेगा।

3-- इस सतर्कता आयोग में तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य यू0पी0 डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे और तीसरा सदस्य सतर्कता निदेशक होगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष इस आयोग का सभापति होगा।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण-- प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस समय दो अंशकालिक सदस्य है। अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि इस

न्यायाधिकरण में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल रूल्स के अनुसार नामित पूर्ण-कालिक सदस्य होंगे। यह न्यायाधिकरण में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल रूल्स, 1947 के अनुसार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध आनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

<u>सतर्कता निदेशालय--</u> सतर्कता निदेशालय पुलिस महानिरीक्षक की हैसियत के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन स्थापित किया जायगा और उक्त अधिकारी का पदनाम सतर्कता निदेशक होगा। निदेशालय का कार्य ऐसे मामलों में जो सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायं, सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अन्य अनाचार की शिकायतों की जांच करना होगा। वर्तमान अपराध अनुसन्धान विभाग पूर्ववत् ऐसे मामलों की जांच करता रहेगा जो विशेषरूप से उसे निर्दिष्ट किये जायं। सतर्कता निदेशालय का स्वयं अपना कर्मचारिवर्ग होगा जो अपराध अनुसन्धान विभाग के कर्मचारिवर्ग से पूर्णतया पृथक होगा। सतर्कता निदेशालय के कार्य तथा उसके द्वारा जांच के संचालन के विनियमन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की एक प्रतिलिपि संलग्न है। सतर्कता निदेशालय के कार्य के सम्बन्ध में इस नियमावली से इस विभाग के शासनादेश संख्या ए-351/25--सी0एक्स0, दिनांक 17 जनवरी, 1949 के साथ परिचालित प्रक्रिया नियमावली (रूल्स आफ प्रोसिज्योर) का अतिक्रमण हो जायेगा।

4. सतर्कता आयोग सामान्यता भ्रष्टाचार के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये प्रस्ताव बनायेगा और विशेषतः निम्नलिखित कार्य कर सकता है:-

(क) भ्रष्टाचार के अवसरों को दूर करने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अथवा प्रथा में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना।

(ख) ऐसे आंकड़े तथा अन्य सूचना इक्ट्ठा करना जो उक्त प्रयोजन के लिये सुसंगत हों।

(ग) जनता की शिकायतों को सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिये अनुसरण की जाने वाली रीति तथा प्रक्रिया के बारे में सरकार को परामर्श देना।

(घ) समस्त सरकारी विभागों, सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों से प्रतिवेदन, परिलेख तथा विवरण-पत्र मंगाना, जिसके कि वह ऐसे विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों में किये गये सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का समान्य नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण कर सके।

(ङ) अपनी सिफाारिशों पर किसी सरकारी विभाग, कार्यालय या उपक्रम द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना।

(च) अपने कार्यकलापों के बारे में सरकार के सतर्कता विभाग को वार्षिक प्रति वेदन प्रस्तुत करना और सरकार का ध्यान किसी ऐसी सिफाारिश की ओर आकृष्ट करना जो आयोग द्वारा अपने कार्यों के संबंध में की गयी हो और सरकार या सम्बद्ध विभाग द्वारा स्वीकार या कार्यान्वित न किया गया हो। उक्त प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5-- न्यायाधिकरण के सदस्य तथा सतर्कता निदेशक सतर्कता आयोग के सदस्यों की हैसियत से ऐसी सूचना तथा आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने कार्यों के दक्ष सम्पादन के लिये अपेक्षित हो।

6-- सतर्कता आयोग विधान मन्डल के सदस्यों तथा शासन के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेगा।

7-- अब तक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जांच के लिये केवल चुने हुए मामलें ही निर्दिष्ट किये गये। पुनरीक्षित व्यवस्था में उक्त न्यायाधिकरण एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में कार्य करेगा और वह प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों विशेषतः राजपत्रित अधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा कदाचार आदि के आरोपों से सम्बन्धित मामलें सामान्यता उसे निर्दिष्ट किये जायेंगे।

8-- सतर्कता आयोग अपने कार्य संचालन, बैठकें आयोजित करने और अन्य ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो वह आवश्यक समझे, स्वयं अपने विनियम तैयार करेगा।

9-- सतर्कता आयोग के लिये ऐसे कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था की जायगी जो उसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन के लिये आवश्यक हो। उक्त कर्मचारिवर्ग में कानूनी सलाहकार तथा प्राविधिक अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

10-- सचिवालय के गोपन (क) विभाग की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई सतर्कता विभाग के नाम से एक पृथक विभाग हो जायगा जो मुख्य सचिव शाखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।

11-- उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित मामलों में सतर्कता आयोग की सिफारिशें सामान्यतया स्वीकार की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में इस समय जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसी प्रक्रिया का आवश्यक परिवर्तन के साथ ऐसे मामलों में पालन किया जायगा जिनमें सतर्कता आयोग की सिफारिशें स्वीकार या कार्यान्वित न की जायं।

12-- उपर्युक्त योजना इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

13-- मुझ इस बात पर जोर देना कि सरकार सतर्कता आयोग के गठन को भ्रष्टाचार रोकने तथा दोष रहित और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के

सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयत्नों में महत्वपूर्ण कदम समझती हैं। अतएव यह आशा की जाती है कि उक्त योजना के कार्यावन्यन से सम्बन्धित सभी अधिकारी और सरकार के समस्त विभाग इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मुझे यह भी कहना है कि इस उद्देश्य की सफलता के लिए विभागध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पूर्ववन् ऐसी कार्यवाहियां करते रहना चाहिये जो आवश्यक समझी जायं और जो ऊपर उल्लिखित कार्यवाहियों से भिन्न हों। मुझे इस बात पर भी जोर देना है कि सतर्कता आयोग के गठित किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी ऐसी सभी कार्यवाहियां करने के अपने कर्तव्य से मुक्त हो गये हैं जिन्हें वे भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आवश्यक समझें।

आपका विश्वासपात्र,
ह0/-
कौशल कुमार दास,
मुख्य सचिव।

संख्या ए-3001 (1)/25-- सी0एक्स0- (ए) 64, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित:-

(1) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों के आयुक्त।
(3) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(4)- सभापति, सतर्कता आयोग और अध्यक्ष, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
(5)-- पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6)- सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) सचिवालय के नियुक्ति (क) (ग) विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान-1) और अन्य सभी विभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
प्रताप किशन कौल,
सचिव।

सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच कार्य करने तथा उसके संचालन को शासित करने की नियमावली

1-- उत्तर प्रदेश में एक सतर्कता निदेशालय की स्थापना की जायगी जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। यह एक अधिकारी के प्रभार में होगा जो सतर्कता निदेशक के रूप में नामोदिष्ट किया जायगा। उसको विभागाध्यक्ष के अधिकार होंगे और वह सीधे सरकार के अधीन सतर्कता विभाग में कार्य करेंगा जो मुख्य सचिव शाखा का एक भाग होगा।

2-- सतर्कता निदेशालय निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगाः

(क) लोक सेवकों के विरूद्ध उसकी जानकारी में आने वाले भ्रष्टाचार, घूस, दुराचरण तथा अन्य अनाचार के समस्त मामलों से सरकार को सूचित रखना।

(ख) लोक सेवाओं के बीच भ्रष्टाचार के सम्भव स्रोतों को ज्ञात करने के उद्‌देश्य से ऐसी सूचना (Intelligence) एकत्र करना जिसकी सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

(ग) भ्रष्टाचार, घूस,दुराचरण तथा ऐसे अन्य दुर्व्यवहारों की गुप्त या खुली जांच करना जो सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा समय-2 पर उसे अभिदिष्ट किये जायें।

3-- सतर्कता निदेशालय में इतने कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी जो उसके कार्यो को सम्यक् रूप से करने के लिये आवश्यक हों। कर्मचारियों में विधि परामर्शी तथा प्राविधिक कर्मचारियों की आवश्यक संख्या होगी।

4-- (1) सतर्कता निदेशालय, सामान्यतः सरकारी सेवकों और विशेवतः राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की गुप्त या खुली प्रारम्भिक

जांच करने के लिये प्राधिकृत है। निदेशालय केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो उसे सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा अभिदिष्ट किये जायें।

(2) यदि जांच के दौरान में सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को किसी ऐसे अधिकारी के विरूद्ध सूचना प्राप्त हो जिसके आचरण की जांच करने के लिए उनसे नहीं कहा गया है तो सतर्कता निदेशक ऐसी सूचना अविलम्बा सरकार के सतर्कता विभाग को भेज देगा।

(3) यदि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध जांच करते समय, सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को उक्त सेवक के किसी अन्य भ्रष्टाचार या दुराचरण की ऐसी सूचना प्राप्त हो जो उन्हें अब तक दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत न आती हो, तो सतर्कता निदेशक तत्काल उक्त सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को भेज देगा, जो उचित आदेश जारी करेगा। सतर्कता निदेशालय के किसी अधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि अगत तत्काल कार्यवाही न ही गई तो ऐसे भ्रष्टाचार या दुराचरण के सम्बन्ध में साक्ष्य नष्ट हो सकता है या अन्तःक्षेपित (Tamperad with) हो सकता है, तो वह आदेशों के प्राप्त होने तक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे, परन्तु उसकी सूचना तत्काल सरकार को देगा।

5-- सभी विभागाध्यक्षों तथा उनके उत्तरदायी अधिकारियों का सतत दायित्व भ्रष्टाचार के विरूद्ध समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का रहेगा और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थों पर अनवरत् तथा सतर्क देखभाल रखें। इस निदेशालय के सृजन से, विभागाध्यक्ष तथा उनके उत्तरदायी अधिकारी इन कर्तव्यों तथा दायित्वों से मुक्त नहीं होते है। ये अधिकारी तथा जिला मैजिस्ट्रेट

और पुलिस सुपरिटेंडेंट, सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को, उन्हें अभिदिष्ट मामलों की जांच करने में समस्त आवश्यक सहायता देंगे। सतर्कता निदेशालय के वे अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित समस्त शासकीय अभिलेख देख सकेंगे तथा कार्यालय का प्रधान अथवा विभागाध्यक्ष जो उक्त अभिलेख से सम्बन्धित हो ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करेंगे और ऐसी जांच में सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को समस्त सहायता देगा।

6-- सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त समस्त शिकायतें सतर्कता निदेशालय को भेज दी जायेंगी तथा परवर्ती को सीधे अथवा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतें, उनके सिवाय जो प्रथम दृष्टया निरर्थक प्रतीत हों, सरकार के सतर्कता विभाग को, टिप्पणी सहित या बिना टिप्पणी के सरकार के आदेशार्थ भेजी जायेंगी।

7-- सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायतों की विभाग द्वारा परीक्षा की जायेगी तथा निम्नलिखित कोई भी कार्यवाही की जा सकती है :

(क) यदि शिकायत प्रथम दृष्टया निरर्थक प्रतीत हो और आगे कार्यवाही करना आवश्यक न हो, तो पत्रादि निक्षेप किये जायेंगे। नाम रहित तथा कल्पित नाम के प्रार्थना-पत्रों पर सामान्यतः कोई ध्यान न दिया जाय तथा वे तत्काल निक्षेप कर दिये जायेंगे।

(ख) यदि शिकायत से सम्बन्धित तथ्य सरकार के पास पहले से उपलब्ध हों तो शिकायत की परीक्षा उसके आधार पर की जायेगी तथा आगे कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) यदि जांच आवश्यक समझी जाय तो शिकायत, सतर्कता निदेशालय को जांच के लिए भेजी जायगी।

8-- सतर्कता निदेशालय, सरकार के सतर्कता विभाग को, नियत अन्तरालों पर जांच की प्रगति का प्रतिवेदन भेजेगा तथा जांच के पूरा होने पर व्योरेवार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके परिणाम दिये जायेंगे। प्रत्येक प्रतिवेदन के साथ दोषारोपण प्रारूप भेजे जाने चाहिये जिसमें कार्यवाही करने की सिफारिश की गई हो। प्रत्येक आरोप के साथ आरोप के सम्बन्ध में साक्ष्य तथा प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तावित साक्ष्य की एक संक्षिप्ति होगी।

9-- सरकार का सतर्कता विभाग इन प्रतिवेदनों की जांच करेगा और यह निर्णय करेगा कि उपचारी सरकारी कर्मचारी का मामला न्यायालय के विचारार्थ भेजा जाय यदि नहीं या उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेजा जाय अथवा उस पर केवल विभागीय कार्यवाही की जाय।

10-- यदि यह निर्णय किया जाय कि मामले की न्यायालय भेजा जाय तो मामले के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस को एक लिखित प्रतिवेदन नियमित अनुसन्धान के लिये दिया जायगा।

11-- सरकार का सतर्कता विभाग उन मामलों की प्रगति को, जिनमें उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार आगे कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, देखेगा। प्रशासकीय विभाग नियत अन्तरालों पर ऐसे प्रत्येक मामलें में, जिसमें विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई हो, जांच में हुई प्रगति की सूचना सतर्कता विभाग को देगा।

12-- किसी अनुसन्धान या जांच को सतर्कता निदेशालय को सौंपने के पूर्व सतर्कता विभाग उस विभाग के प्रभारी मन्त्री से, जिस विभाग के अधिकारी के सम्बन्ध में अनुसंधान या जांच करना हो, परामर्श करेगा।

13-- ऐसे समस्त मामलें जिनमें सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच कराना वांछनीय हो, सरकार के मुख्य सचिव को अभिदिष्ट किये जायेंगे जो तत्पश्चात् उन्हें सतर्कता विभाग में ले लेगा।

14-- सतर्कता निदेशक तथा सतर्कता आयोग उन व्यक्तियों को अभियोजित करने के लिये कार्यवाही कर सकता है जिन्होंने लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठता की कमी या अनाचार के सम्बन्ध में असत्य और निरर्थक शिकायतें की हों।

15-- अभी सतर्कता निदेशालय सामान्यतः केवल राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध जांच करेगा। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाय, सरकार सतर्कता विभाग अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध भी जांच करने का काम सतर्कता निदेशालय को सौंप सकता है। सामान्यतया, अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध गम्भीर मामलों में जांच पुलिस के वर्तमान अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जायेगी और उक्त प्रयोजन के लिये सरकारी आदेश संख्या 1-351/25 सी0एक्स0, दिनांक 17 जनवरी, 1949 में निर्धारित प्रक्रिया नियमावली लागू होगी और अन्य मामलों में जाचं विभागीय प्राध्किारियों द्वारा की जायंगी।

पी0एस0यू0पी0एल0 19 जनरल (का0) --- 1964--6,000।

-(क) उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन

शासनादेश संख्या (1) डी0/1174/39 वी0जी0एल0. 310-1965, दिनांक 18.09.1965

(2) 4955/39-6(3)/1968, दिनांक 09-09-1968,

(3) 3477/39-2-217/1964, दिनांक 31-3-1975,
द्वारा यथा संशोधित।

संख्या ए-3001/25-सी0एक्स0 (ए) -64

प्रेषक,

श्री कौशल कुमार दास, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, 8 जुलाई, 1964

विषयः- **उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन।** गोपन (क) विभाग।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता स्थापित किये जाने के कारण राज्य सकरार ने भी इस मामले में विचार किया है और इस राज्य में अपनाने के लिये निम्नलिखित योजना तैयार की गई है :-

2. एक निकाय स्थापित किया जायगा, जो उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग कहलायेगा।

3 (1) इस सकर्तता आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनमें से चार सदस्य यू0पी0 डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटव ट्रिब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित

प्रशासनाधिकरण-1 तथा 2 के सदस्य होंगे और पांचवां सदस्य सतर्कता निदेशक होगा। प्रशासनाधिकरण-1 का अध्यक्ष इस आयोग का अध्यक्ष होगा।

(2) **प्रशासनाधिकरण-** प्रशासनाधिकारण में ऐडमिनिस्ट्रेटव ट्रिब्यूनल रूल्स के अनुसार शासन द्वारा समय समय पर नामित दो अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यह प्रशासनाधिकारण ऐडमिनिस्ट्रेटव ट्रिब्यूनल रूल्स, 1947 के अनुसार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा उसे विशिष्ट किये गये मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

(3) **सतर्कता निदेशालय-** सतर्कता अधिष्ठान पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक की हैसियत के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन रहेगा और उक्त अधिकारी का पदनाम सतर्कता निदेशक होगा। निदेशालय का कार्य ऐसे मामलों में जो सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायं, सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अन्य अनाचार की शिकायतों की जांच करना होगा।

वर्तमान अपराध अनुसंधान विभाग पूर्ववत् ऐसे मामलों की जांच करता रहेगा जो विशेष रूप से उसे निदिष्ट किये जायं। सतर्कता निदेशालय का स्वयं अथवा कर्मचारिवर्ग होगा जो अपराध अनुसंधान विभाग के कर्मचारिवर्ग से पूर्णतया पृथक होगा। सतर्कता निदेशालय के कार्य तथा उसके द्वारा जांच के संचालन के विनियमन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की एक प्रतिलिपि संलग्न है। सतर्कता निदेशालय के कार्य के सम्बन्ध में इस नियमावली से इस विभाग के शासनादेश संख्या ए-351/25 सी0एक्स0 दिनांक 17 फरवरी,

1948 के साथ परिचालित प्रक्रिया नियमावली (रूल्स आफ प्रोसिज्योर) का अतिक्रमण हो जायेगा।

4-- सतर्कता आयोग सामान्यता भ्रष्टाचार के निवारण तथा नियंत्रण के लिये प्रस्ताव बनायेगा और विशेषतः निम्नलिखित कार्य कर सकता है:-

(क) भ्रष्टाचार के अवसरों को दूर करने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अथवा प्रथा में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना।

(ख) ऐसे आंकड़े तथा अन्य सूचना इकट्ठा करना जो उक्त प्रयोजन के लिये सुसंगत हों।

(ग) जनता की शिकायतों को सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिए अनुसरण की जाने वाली रीति तथा प्रक्रिया के बारे में सरकार को परामर्श देगा।

(घ) समस्त सरकारी विभागों, सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों से प्रति वेदन, परिलेख तथा विवरण-पत्र मंगाना, जिससे कि वह ऐसे विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों में किये गये सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का सामान्य नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण कर सके।

(ड़) अपनी सिफारिशों पर किसी सरकारी विभाग, कार्यालय या उपक्रम द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना।

(च) अपने कार्य-कलापों के बारे में सरकार के सतर्कता विभाग को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और सरकार का ध्याान किसी ऐसी सिफारिश की ओर आकृष्ट करना जो आयोग द्वारा अपने कार्यों के सम्बन्ध में की गई हो और सरकार या सम्बद्ध विभाग द्वारा स्वीकार या कार्यान्वित न किया गया हो। उक्त प्रतिवेदन विभाग मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

5-- अधिकरण के सदस्य तथा सतर्कता निदेशक सतर्कता आयोग के सदस्यों की हैसियत से ऐसी सूचना तथा आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जेसा कि आयोग द्वारा अपने कार्यों के दक्ष सम्पादन के लिये अपेक्षित हो।

6-- सतर्कता आयोग विधान मंडल के सदस्यों तथा शाखा के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेगा।

---

* पहले "न्यायाधिकरण " छपा था ' अधिकरणों पढ़ा जाय।

7-- अब तक * प्रशासनाधिकरण की जांच के लिए केवल चुने हुए मामले ही निर्दिष्ट किये गये पुनरीक्षित व्यवस्था में यह प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों विशेषत: राजपत्रित अधिकारियों भ्रष्टाचार तथा कदाचार आदि के आरोपों से सम्बन्धित मामलें समान्यतया उसे निर्दिष्ट किये गये जायेंगे।

8-- सतर्कता आयोग अपने कार्य संचालन, बैठकें आयोजित करने और अन्य ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो वह आवश्यक समझे, स्वयं अपने विनियम तैयार करेगा।

9-- सतर्कता आयोग के लिये ऐसे कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था की जायगी जो उसके कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन के लिये आवश्यक हो। उक्त कर्मचारिवर्ग में कानूनी सलाहकार तथा प्राविधिक अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते है।

10-- सचिवालय के गोपन (क) विभाग की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई सतर्कता विभाग के नाम से एक पृथक विभाग हो जायेगा जो मुख्य सचिव शाखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।

11-- उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित मामलों में सतर्कता आयोग की सिफारिश सामान्यतया स्वीकार की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में इस समय जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसी

प्रक्रिया का आवश्यक परिवर्तन के साथ ऐसे मामलों में पालन किया जायगा जिनमें सतर्कता आयोग की सिफारिशें स्वीकार या कार्यान्वित न की जायं।

12-- उपर्युक्त योजना इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

13-- मुझे बात पर जोर देना है कि सरकार सतर्कता आयोग के गठन को भ्रष्टाचार रोकने तथा दोष रहित और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयत्नों में महत्वपूर्ण कदम समझती है। अतएवं यह आशा की जाती है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी अधिकारी और सरकार के समस्त विभाग इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मुझे यह भी कहना हे कि इस उद्‌देश्य की सफलता के लिए विभागध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पूर्ववत् ऐसी कार्यवाहियां करते रहना चाहिये जो आवश्यक समझी जायं और जो ऊपर उल्लिखित कार्यवाहियों से भिन्न हों। मुझे इस बात पर भी जोर देना है कि सतर्कता अयोग के गठित किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी ऐसी सभी कार्यवाहियां करने के अपने कर्तव्य से मुक्त हो गये है, जिनहें वे भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आवश्यक समझें।

आपका विश्वासपात्र,
ह0/-
कौशल कुमार दास,
मुख्य सचिव।

---

* मूल शब्द'' प्रशासनिक न्यायाधिकरण'' था।

अर्द्ध०शा० प०सं० –1625 /स०आ०–2018

देवेन्द्र चौधरी

आई०ए०एस०

अध्यक्ष,

सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण–1,उ०प्र०,

पंचम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 11 अप्रैल, 2018

महोदय,

प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समय–समय पर जारी पार्श्वांकित शासनादेश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

1–शासनादेश सं०– 705/39(4)–42(340)/86 दिनॉक 31 मार्च, 1990

2–शासनादेश सं०– 818/39–4–94–42(442)/90 दि० 23 मई, 1994

3–शासनादेश सं०–272/39–4–2001–42(340)/86 दि० 2 फरवरी, 2001

4–शासनादेशसं०–1175/394–4–2001–42(340)/86 दि० 25 मई, 2001

5–शासनादेश सं०–3111/39–4–2001–42(340)/86 दि०19 अगस्त, 2002

6–शासनादेश सं०–1077/39–4–2008–42(340)/86 दि०29 अगस्त, 2008

7 शासनादेश सं०–1008/39–4–2012–42(340)/86 दि० 25 मई, 2012

8–शासनादेश सं०–603/394–4–2013–42(340)/86 दि० 24 अप्रैल, 2013

9–शासनादेश सं०–1481/39–4–2014–42(340)/86 दि० 20 अगस्त,2014

उ०प्र० सरकार स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जनता को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकना एवं उनका उन्मूलन किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियो/सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदयित्व निर्धारित करते हुए सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव स्तर अथवा उससे उच्च स्तर के उपयुक्त अधिकारी विभागाध्यक्ष स्तर एवं सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/प्राधिकरणों के कार्यालयों के प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण एवं प्रशासकीय सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु आयुक्तों/जिला अधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया था। उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी थी कि सतर्कता अधिकारी का नामांकन कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाय एवं विभाग में होने वाले सम्भावित भ्रष्टाचार को

रोकने में समस्त विभागों में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से प्रभावी अनुश्रवण किया जाय। उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु प्रत्येक विभाग को निर्देशित किया गया कि वे अपने विभाग में नामित/तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के नाम , पदनाम, कार्यालय/आवासीय दूरभाष संख्या सहित एक पक्ष में सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने एवं विभाग में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार निरोधक कार्य एवं सतर्कता सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रतिमाह अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराते रहें, परन्तु विभागों द्वारा अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखायी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही को प्रभावी बनाये जाने हेतु अपने विभाग/कार्यालय में उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अनुपालन कराना सुनिश्चित करते हुए वॉछित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन को एवं **प्रतिवेदन प्रतिमाह** अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

(देवेन्द्र चौधरी)

समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, (नाम से)
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: 1625/स0आ0–2018 दिनॉक : 11 अप्रैल, 2018

विषय : प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारियों एवं सतर्कता अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न शासनादेश संख्या–3111/39–4–2001–42(340)/86, दिनॉक 19 सितम्बर 2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के प्रसाद को रोकना एवं उनका उन्मूलन किया जाना नितांत आवश्यक है। जनता को पारदर्शी, स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की दिशा में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता सुदृढ़ किये जाने हेतु मण्डलों एवं जनपदों में स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का उत्तरदायित्व आयुक्तों/जिलाधिकारियों का है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त संलग्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा नामित सतर्कता अधिकारी का विवरण संलग्न प्रारूप में निर्धारित समय सीमा 01 सप्ताह में सतर्कता आयोग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष।

सं0–1625(I–III)/स0आ0–2018,तद्दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ह0/–
(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
सचिव।

गोपनीय

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 724 /39-4-2016-42(340)/86

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश शासन।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 17 मई, 2016

विषयः- प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश सं0-613/39-4-2013-42(340)/86 दिनांक 24 अप्रैल, 2013, एवं शासनादेश सं0-1481/39-4-2014-42(340)/86 दिनांक 20 अगस्त, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उ0प्र0 सरकार स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकना एवं उसका उन्मूलन

किया जाना नितान्त आवश्यक है। भ्रष्टाचार उन्मूलन मूलतः प्रशासकीय विभागों की जिम्मेदारी है। इस कार्य में इनकी सहायता के लिए प्रदेश में अनेक जांच एजेन्सियाँ, जैसे सतर्कता अधिष्ठान, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध शाखा, सी0बी0सी0आई0डी0, एस0आई0टी0 (विशेष अनुसंधान दल) आदि कार्यरत हैं, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। जनता को पारदर्शी स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की दिशा में उक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों की कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उस विभाग का पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया है। उक्त के अतिरिक्त समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों/सार्वजनिक उपक्रमों /निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मण्डल/जनपद स्तर पर आयुक्तों/जिलाधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है। पूर्व निर्गत शासनादेशों में सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव या उससे उच्चतर अधिकारी को, विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागाध्यक्ष द्वारा तथा सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि सतर्कता अधिकारियों का नामांकन कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाये किन्तु अभी तक विभागों से सूचना अप्राप्त है।

3. विभाग में नामित सतर्कता अधिकारी द्वारा अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण व सतर्कता संबंधी कार्यों में सहयोग देते हुए अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नोडल आफिसर के रूप में कार्य किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायितवों (संलग्नक-1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरोधात्मक सतर्कता के कार्यान्वयन में मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों की अहम भूमिका होती है।

4. प्रदेश की विभिन्न जांच एजेन्सियों के द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच/विवेचना के उपरान्त दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में अभियोजन एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है। इस हेतु आरोपी लोक सेवक के नियुक्ति प्राधिकारी से "विधिकपूर्व स्वीकृति" अपेक्षित होती है। "विधिकपूर्व स्वीकृति" मिलने में विलम्ब होने से साक्ष्य के धूमिल होने, सांक्षीगणों द्वारा बयान बदलने तथा आरोपी लोक सेवक के बच निकलने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे जांच एजेन्सियों द्वारा की गयी जांच का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय मामलों में जांच एजेन्सियों द्वारा की गयी जांच/विवेचना के उपरान्त प्रेषित अन्तिम आख्याओं में उनके द्वारा की गयी अभियोजन की संस्तुतियों पर संबंधित प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं अभियोजन की "विधिकपूर्व स्वीकृति" दिये जाने में शिथिलता बरती जा रही है, जब कि " विधिक पूर्व स्वीकृति " दिये जाने के संबंध में 01 माह की समय सीमा भी निर्धारत की गयी है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

5- उपरोक्त वर्णित स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

(1) शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर पर नामित पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा सचिवालय स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर तथा जनपद एवं मण्डल स्तर पर नामित किये गये सतर्कता अधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय दूरभाष नम्बर, मोबाइल ईमेल आई0डी0 सहित सूचना संलग्न प्रारूप में (संलग्नक-2- A,B एवं C) सतर्कता अनुभाग-4 को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।

(2) शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर पर यदि कहीं सतर्कता अधिकारी नामित नहीं किये गये हों तो तत्काल नामित किये जाने की कार्यवाही की जाये। यदि नामित कोई सतर्कता अधिकारी अन्यंत्र स्थानान्तरिक हो गये हों अथवा सेवानिवृत्त हो गये हों, तो उनके स्थान पर उपयुक्त अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित करते हुए तत्काल उसकी सूचना सतर्कता विभाग को दी जाये।

(3) विभाग में नामित पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारियों एवं सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व से संबंधित समेकित विवरण सुविधा हेतु अवलोकनार्थ संलग्न है। (संलग्नक-1)

(4) प्रदेश की जांच एजेन्सियों के द्वारा जिन प्रकरणों में जांच/ विवेचना आदि की जा रही है, उसमें जांच के उपयोगार्थ जांच अधिकारी के द्वारा जो भी अभिलेख मांगे जायें, उसे उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के द्वारा सहायता प्रदान की जाये। सतर्कता अधिकारी अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नोडल आफिसर के रूप में कार्य करते हैं।

(5) जांच एजेन्सियों के द्वारा जांच/विवेचना के उपरान्त जिन प्रकरणों में दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की संस्तुति की

गयी हो और जॉच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जा चुकी हो तो मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रकरण में नियुक्ति प्राधिकारी से अभियोजन की "विधिकपूर्व स्वीकृति" समयान्तर्गत निर्गत कराये जाने हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेंगे।

(6) इस संबंध में सतर्कता अधिकारी संबंधित जांच एजेन्सियों से भी बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा उनसे समन्वय स्थापित कर विशेषकर अभियोजन चलाये जाने के प्रकरणों में समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

(7) मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, मोबाइल संख्या, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या एवं ईमेल आइडी सभी जांच एजेन्सियों यथा सतर्कता अधिष्ठान, सी0बी0सी0आई0डी0, आर्थिक अपराध शाखा, एस0आई0टी0, भ्रष्टाचार निवारण संगठन आदि को भी अपने स्तर से सीधे उपलब्ध करायेंगे।

6- अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नामित पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा नामित सतर्कता अधिकारियों का विवरण संलग्न प्रारूप में निर्धारति समय सीमा (एक सप्ताह) में सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर इसे शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 724 (1)/39-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,लखनऊ।
(4) पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0,उ0प्र0,लखनऊ।
(5) पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0 उ0प्र0 लखनऊ।
(8) सचिव, गृह/गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक।
(11) समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक।
(12) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
(13) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
(14) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सतर्कता को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
(15) सतर्कता विभाग के समस्त प्रभारी अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी।
(16) सचिवालय के समस्त अनुभाग/
(17) सतर्कता अनुभाग-3 को प्रश्नगत विषय पर समन्वय के कार्य हेतु।
(18) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य

1. विभाग की प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों का निवारण करना जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार, विलम्ब या जनता का उत्पीड़न होता है, तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।

2. अपने विभाग के उन संवेदनशील बिन्दुओं पर सतर्क/पैनी नजर रखना जहां भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की संभावना हो।

3. विभाग/कार्यालय में सतर्कता दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व अन्ततः तो मुख्य सतर्कता अधिकारी का है। परन्तु उनके सहायता हेतु नामित सतर्कता अधिकारी अपने विभाग/कार्यालय में "भ्रष्टाचार निरोधक इकाई" "(corruption prevention unit) के नोडल आफिसर के रूप में कार्य करेंगे। सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को अभिदष्टि मामलों में, या इस प्रकार के मामलों के समकक्ष विभाग में विचाराधीन अन्य मामलों में, एक नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रसंग में वह सतर्कता विभाग से समन्वय का बिन्दु भी होंगे और प्रमुख सचिव/सचिव, सतर्कता विभाग को आवश्यक प्रगति सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे , और अपने विभाग से सम्बन्धित सतर्कता कार्य में उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे। महत्वपूर्ण व विशेष रूप से निर्दिष्ट प्रकरणों में विभागीय सतर्कता अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से नियमित रूप से सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें सीधे प्रगति से अवगत करायेंगे व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

4. यह अनुश्रवण करना की जॉचों के संबंध में जो अभिलेख विभिन्न जॉच एजेंसियों (यथा सतर्कता निदेशालय/भ्रष्टाचार निवारण संगठन आदि) से मांगे जाएं उन्हें समय से सम्बन्धित स्तर से उपलबध करा दिया गया है।

5. प्रारम्भिक जॉच हेतु जो प्रकरण सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किए जाते हैं, उन पर त्वरित रूप से जॉच कराकर संस्तुति भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह सुनिश्चित करना कि अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराये जाने में (या इस सम्बन्ध में परीक्षण में) विलम्ब न हो।

7. विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की तैनाती कराना ।

8. यह सुनिश्चित करना कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट समय से मिल जाए तथा किसी स्तर पर भी अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि आरोपी लोक सेवक यदि शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके मामले का निस्तारण उसकी सेवानिवृत्त के पूर्व कर लिया जाए।

9. जॉच अधिकारी की रिपोर्ट का तुरन्त अनुशीलन हो जाए यह सुनिश्चित करना तथा उस पर नियुक्ति प्राधिकारी (डिसिप्लिनरी एथॉरिटी) से शीघ्र निर्णय कराना।

10. विभाग में निलम्बित लोक सेवक यदि 6 माह से अधिक समय से निलम्बित चल रहा है तो उसके प्रकरण की समीक्षा कराना।

11. सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी भेजी गई संस्तुतियों पर प्रभावी कार्यवाही करना एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर सतर्कता विभाग को परिणाम से अवगत कराना ।

12. यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी अपने बचाव में न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया हो, या स्थगन आदेश प्राप्त किया हो तो त्वरित कार्यवाही कराकर न्यायालय में विभागीय पक्ष प्रस्तुत कराना, मा0न्यायालयों द्वारा यदि

कोई स्थगन आदेश पारित किए गए हों तो उसे निरस्त कराने की कार्यवाही कराना तथा मुकद्में की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना है।

13. मुख्य सतर्कता अधिकारी का विशेष दायित्व हे संदिग्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करना और उन पर निगरानी की समुचित व्यवस्था करना, और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की ''एग्रीड लिस्ट'' तैयार करना है।

14. कर्मचारी आचरण नियमावली के उन समस्त प्राविधानों, का जिसका सत्यनिष्ठा से संबंध हो, जैसे चल-अचल सम्पत्ति, उपहार, लेन देन, सौदों आदि के ब्यौरा का अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

15, अपने विभाग की विशिष्ट (department specific) भ्रष्टाचार निवारण रणनीति तैयार कराना।

16. विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सम्परीक्षा रिपोर्ट/लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का संनिरीक्षण करना।

17. मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने अधीनस्थ सतर्कता से विवेकानुसार विभागीय सतर्कता सम्बन्धी कार्य से जुड़ी जो उत्तरदायित्व सौंपना चाहें।

18. सतर्कता सम्बन्धी कार्य जुड़ी संस्थाओं से नियमित संपर्क रखना।

नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी से संबंधित विवरण का प्ररूप

(A) शासन स्तर से संबंधित विवरण

1.	**विभाग का नाम**	**शासन**	:	
2.	विभाग के सर्वोच्च अधिकारी का विवरण (उक्त अधिकारी विभाग के पदेन "मुख्य सतर्कतरा अधिकारी" भी है)	नाम	:	
		पदनाम	:	
		मोबाईल नं0	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवासी का पता	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
3.	विभाग में नामित "सतर्कता अधिकारी "का विवरण	नाम	:	
		पदनाम	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवास का पता	:	
		कार्यालय का पता	:	

(प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर)
मुहर सहित।
दिनांक

नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी से संबंधित विवरण का प्ररूप

(B) विभागाध्यक्ष स्तर से संबंधित विवरण

1.	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	शासन	:	
2.	विभागाध्यक्ष का विवरण (उक्त अधिकारी विभागाध्यक्ष के पदेन "मुख्य सतर्कता अधिकारी" भी हैं)	नाम	:	
		पदनाम	:	
		मोबाईल नं0	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवासी का पता	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
3.	विभागाध्यक्ष में नामित "सतर्कता अधिकारी "का विवरण	नाम	:	
		पदनाम	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवास का पता	:	
		कार्यालय का पता	:	

(प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर)
मुहर सहित।
दिनांक

नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी से संबंधित विवरण का प्रारूप

(C) विभाग के अधीनस्थ उपक्रम से संबंधित विवरण

1.	**विभाग के अधीनस्थ उपक्रम/निगम का नाम**	**शासन**	:	
2.	उपक्रम/निगम के सर्वोच्च अधिकारी का विवरण (उक्त अधिकारी उपक्रम/निगम के पदेन "**मुख्य सतर्कता अधिकारी** "भी हैं)	नाम	:	
		पदनाम	:	
		मोबाईल नं0	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवासी का पता	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
3.	उपक्रम/निगम में नामित "सतर्कता अधिकारी "का विवरण	नाम	:	
		पदनाम	:	
		दूरभाष संख्या (कार्यालय)	:	
		दूरभाष संख्या (आवास)	:	
		फैक्स नं0	:	
		ईमेल आई0डी0	:	
		आवास का पता	:	
		कार्यालय का पता	:	

(प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर)
मुहर सहित।
दिनांक

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-1481/39-4-2014-42(340)/86,

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2014

विषयः- प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी नामित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश सं0-705/39-(4)-42(340)/86 दिनांक 31 मार्च 1990, शासनादेश सं0-272/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 02 फरवरी, 2001 शासनादेश सं0- 1175 /39 - 4-2001 -42 (340)/86 दिनांक 25 मई, 2001 शासनादेश सं0- 3111 /39 - 4-2001 -42 (340)/86 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 शासनादेश सं0- 1077 /39 - 4-2008 -42 (340)/86 दिनांक 29 सितम्बर,2008 एवं शासनादेश-603 /39 - 4-2013 -42 (340)/86 दिनांक 24 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासन का यह उत्तरदायित्व है कि वह जनता को पारदर्शी, स्वच्छ एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन दे। शासन कटिबद्ध है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से संवेदनशील एवं स्वच्छ हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय

सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष स्तर एवं सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/प्राधिकरणों के कार्यालय में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण एवं प्रशासकीय सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु आयुक्तों/जिला अधिकारियों पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया था। शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी थी कि सतर्कता अधिकारी का नामांकन कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाय एवं विभाग में होने वाले सम्भावित भ्रष्टाचार को रोकने में समस्त विभागों में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 25 मई, 2001 के द्वारा सतर्कता अधिकारियों के समग्र रूप से निर्धारति कार्य एवं दायित्वों की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग में नामित/तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के नाम (पदनाम, विभाग, कार्यालय/आवासीय दूरभाष संख्या सहित) एक पक्ष में सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया अपने विभाग में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियो/सतर्कता अधिकारियों के नाम को उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार निरोधक कार्य एवं सतर्कता सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रति माह अध्यक्ष सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, जवाहर भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराते रहें, जिससे सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण कर भ्रष्टाचार के निवारण के

सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन को अपना सुझाव एवं परामर्श दिया जा सकें।

4. अनुरोध है कि कृपया भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही को प्रभावी बनाये जाने हेतु अपने विभाग/कार्यालय में उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था का प्रभावी ढंग से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
ह0/-
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 1481 (1)/39-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त।
(4) समस्त मण्डलायुक्त।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
(6) सतर्कता विभाग के समस्त प्रभारी अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य

1. विभाग की प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों का निवारण करना जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार, विलम्ब या जनता का उत्पीड़न होता है, तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।

2. अपने विभाग के उनसंवेदनशील बिन्दुओं पर सतर्क/पैनी नजर रखना जहां भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की संभावना हो।

3. विभाग/कार्यालय में सतर्कता दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व अन्ततः तो मुख्य सतर्कता अधिकारी का है। परन्तु उनकी सहायता हेतु नामित सतर्कता अधिकारी अपने विभाग/कार्यालय में "भ्रष्टाचार निरोधक इकाई "(corruption prevention unit) के नोडल आफिसर के रूप में कार्य करेंगे। सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को अभिदष्टि मामलों में, या इस प्रकार के मामलों के समकक्ष विभाग में विचाराधीन अन्य मामलों में, एक नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रसंग में वह सतर्कता विभाग से समन्वय का बिन्दु भी होंगे और प्रमुख सचिव/सचिव, सतर्कता विभाग को आवश्यक प्रगति सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे , और अपने विभाग से सम्बन्धित सतर्कता कार्य में उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे। महत्वपूर्ण व विशेष रूप से निर्दिष्ट प्रकरणों में विभागीय सतर्कता अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव से नियमित रूप से सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें सीधे प्रगति से अवगत करायेंगे व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

4. यह अनुश्रवण करना की जॉचों के संबंध में जो अभिलेख विभिन्न जॉच एजेंसियों (यथा सतर्कता निदेशालय/भ्रष्टाचार निवारण संगठन आदि) से मांगे जाएं उन्हें समय से सम्बन्धित स्तर से उपलब्ध करा दिया गया है।

5. प्रारम्भिक जॉच हेतु जो प्रकरण सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किए जाते हैं, उन पर त्वरित रूप से जॉच कराकर संस्तुति भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह सुनिश्चित करना कि अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराये जाने में (या इस सम्बन्ध में परीक्षण में) विलम्ब न हो।

7. विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की तैनाती कराना ।

8. यह सुनिश्चित करना कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट समय से मिल जाए तथा किसी स्तर पर भी अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि आरोपी लोक सेवक यदि शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके मामले का निस्तारण उसकी सेवानिवृत्त के पूर्व कर लिया जाए।

9. जॉच अधिकारी की रिपोर्ट का तुरन्त अनुशीलन हो जाए यह सुनिश्चित करना तथा उस पर नियुक्ति प्राधिकारी (डिसिप्लिनरी एथॉरिटी) से शीघ्र निर्णय कराना।

10. विभाग में निलम्बित लोक सेवक यदि 6 माह से अधिक समय से निलम्बित चल रहा है तो उसके प्रकरण की समीक्षा कराना।

11. सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी भेजी गई संस्तुतियों पर प्रभावी कार्यवाही करना एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर सतर्कता विभाग को परिणाम से अवगत कराना ।

12. यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया हो, या स्थगन आदेश प्राप्त किया हो तो त्वरित कार्यवाही कराकर न्यायालय में विभागीय पक्ष प्रस्तुत कराना, मा0न्यायालयों द्वारा यदि

कोई स्थगन आदेश पारित किए गए हों तो उसे निरस्त कराने की कार्यवाही कराना तथा मुकद्में की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना ।

13. मुख्य सतर्कता अधिकारी का विशेष दायित्व है संदिग्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करना और उन पर निगरानी की समुचित व्यवस्था करना, और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की "एग्रीड लिस्ट" तैयार करना।

14. कर्मचारी आचरण नियमावली के उन समस्त प्राविधानों, का जिसका सत्यनिष्ठा से संबंध हो, जैसे चल-अचल सम्पत्ति, उपहार, लेन देन, सौदों आदि के ब्यौरा का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।

15, अपने विभाग की विशिष्ट (department specific) भ्रष्टाचार निवारण रणनीति तैयार कराना।

16. विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सम्परीक्षा रिपोर्ट/लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का संनिरीक्षण करना।

17. मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने अधीनस्थ सतर्कता से विवेकानुसार विभागीय सतर्कता सम्बन्धी कार्य से जुड़ी जो उत्तरदायित्व सौंपना चाहें।

18. सतर्कता सम्बन्धी कार्य से जुड़ी संस्थाओं से नियमित संपर्क रखना।

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-613/39-4-2013-42(340)/86,

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ दिनॉक 24 अप्रैल, 2013

विषयः- प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी नामित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश सं0-272/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 02 फरवरी,2001 शासनादेश सं0-1175/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 25 मई, एवं सं0-1077/39-4-2008-42(340)/86 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जनता को स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को

सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष स्तर एवं सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/प्राधिकरणों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे और यह अपेक्षा की गयी थी कि सतर्कता अधिकारी का नामांकन कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3- विभाग में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के दायित्वों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरोधात्मक सतर्कता के कार्यान्वयन में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की अहम भूमिका है। विभाग में होने वाले सम्भावित भ्रष्टाचार को रोकने में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की उक्त भूमिका के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि समस्त विभागों में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से निकटता से अनुश्रवण किया जाये। अतः उक्त के दृष्टिगत कृपया अपने विभाग में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों/अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार निरोधक कार्य तथा सतर्कता कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रतिमाह सतर्कता आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि गोपन विभाग के शासनादेश सं0- ए 3001/25-सी0एक्स0(ए)-64, दिनांक 8 जुलाई, 1964 के प्रस्तर -4 के उप प्रस्तर (घ) में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता

तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से निकटता से अनुश्रवण किया जा सके।

4. कृपया इसे सवोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,
ह0/-
(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-613(1)/39-4-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश दिनॉक 08 जुलाई 1964 के प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर ''घ'' में दी गयी व्यवस्था के आलोक में विभागों में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का परीक्षण कर सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का नियमित रूप से निकटता से अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया। अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0/-

(एस0के0रघुवंशी)
विशेष सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-1008/39-4-2012-42(340)/86,

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : 15 मई, 2012

विषयः प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश सं0-272/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 02 फरवरी,2001 शासनादेश सं0-1175/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 25 मई, एवं अर्धशासकीय पत्र सं0- सं0-1779/39-4-2001-42(340)/86 दिनांक 25 जुलाई, 2001 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश सं0- 1077/39- 4-2008-42 (340)/86 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. निरोधात्मक सतर्कता के क्षेत्र में शासन/विभागाध्यक्ष के स्तर पर तथा सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/प्राधिकरणों में मुख्य

सतर्कता अधिकारी नामित एवं सतर्कता अधिकारी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

3. अतः इस संबंध में मुझ यह कहने का निर्देश हुआ है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही को प्रभावी बनाये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें और शासन/विभागाध्यक्षों आदि के स्तर पर नामित मुख्य सतकता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी की सूची सतर्कता अनुभाग-4 को एक पक्ष में उपलब्ध करायें।

4. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

भवदीय,

ह0/-

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1008(1)/39-4-2012 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0,लखनऊ।
2. निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अधीनस्थ सार्वजनिक निगम/उपक्रमों के कार्यालयाध्यक्षों को को तत्काल आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या-1077 / 39-4-2008-42(340) / 86

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
2. उत्तर प्रदेश शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
   उत्तर प्रेदश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2008

विषयः- प्रशसन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी नामित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-272 / 39-4-2001-42(340) / 86, दिनांक 2 फरवरी, 2001, शासनादेश सं0-1175 / 39-4-2001-42(340) / 86, दिनांक 25 मई, 2001 एवं अर्द्धशा0प0 सं0-1779 / 39-4-01-42(340) / 86, दिनांक 25 जुलाई, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनता को स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारत करते हुए सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / शीर्ष सहकारी संस्थाओं / प्राधिकारणों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित करने के

निर्देश दिये गये थे और यह अपेक्षा की गयी थी कि सतर्कता अधिकारी का नामांकन कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- उक्त आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों में चलाये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/विकास कार्यो के सत्यापन/मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। मुख्य सतर्कता अधिकारी अपनी सहायता के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी एवं सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। मुख्य सतर्कता अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह उक्त विकास कार्यो का सत्यापन/मूल्यांकन कर मासिक आख्या सतर्कता विभाग को निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) पर उपलब्ध करायें जिसके आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही समस्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक करके इसकी समीक्षा की जायेगी।

3- अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया सतर्कता विभाग के लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में विवरण सहित अनुपालन आख्या सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

ह0/-

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1077(1)/39-4-2008-42(340)/86, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0,लखनऊ।

2. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।

3. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निगम/उपक्रमों के कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0/-

(जगदीश सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या- 1077/39-4-2008-42(340)/86, दिनांक 29 सितम्बर,2008 का संलग्नक

विभाग का नामः-

क्रमांक	विभाग में चलायी जा रही कल्याणकारी योजना/विकास कार्य का पूर्ण विवरण	मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन/मूल्यांकन के सम्बन्ध में आख्या	यदि सत्यापन/मूल्यांकन के सम्बन्ध में विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी/सतर्कता अधिष्ठान अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया गया हो तो उनकी आख्या	यदि सत्यापन/मूल्यांकन के पश्चात् अनियमितता पायी गयी हो तो उसके निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5

गोपनीय

संख्या-3111/39-4-2001-42 (340)/86

प्रेषक,

श्री डी0एस0बग्गा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2002

विषय : प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाना।

****

महोदय,

शासन का यह उत्तरदायित्व है कि जनता को पारदर्शी, स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दें। अतः शासन कटिबद्ध है कि प्रशासन प्रत्येक दृष्टिकोण से संवेदनशील एवं स्वच्छ हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करते हुये उनके कर्तव्यों को भी सुनिश्चित किया गया है।

2. मण्डलों एवं जनपदों में स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का उत्तरदायित्व आयुक्तों/जिलाधिकारियों का है। अतः उन्हें भ्रष्टाचार निवारण एवं प्रशासकीय सतर्कता सुदृढ़ करने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाता है। मण्डल/जनपद स्तर पर नामित पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्धारित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों की सूची उपयोगार्थ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

ह0/-

(डी0एस0बग्गा)
मुख्य सचिव

संख्या :3111 (1)/39-4-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- लोकायुक्त उ0प्र0 लखनऊ।

3- अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- निदेशक सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

ह0/-

(कुंवर फतेह बहादुर)
सचिव

मण्डल/जिला स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य

1. नियंत्रणाधीन संदिग्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करना और उन पर निगरानी की समुचित व्यवस्था करना, और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को "एग्रीड" तैयार करना।
2. कर्मचारी आचरण नियमावली के उन समस्त प्राविधानों का, जिसका सत्यनिष्ठा से सम्बन्ध हो, जैसे चल-अचल सम्पत्ति, उपहार, लेन-देन, सौदों आदि के ब्यौरा का अनुपालन सुनिश्चित कराना एवं समुचित अन्तराल पर उनका अनुश्रवण किया जाना।
3. सतर्कता सम्बन्धी कार्य से जुड़ी संस्थाओं से नियमित सम्पर्क रखना।
4. मण्डल/जिला स्तर पर प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों का निवारण करना जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार, विलम्ब, या जनता का उत्पीड़न होता है, तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।
5. समस्त संवेदनशील विन्दुओं पर सतर्क/पैनी नजर रखना जहाँ भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की सम्भावना हो।
6. यह अनुश्रवण करना कि जॉचों के सम्बन्ध में जो अभिलेख जॉच एजेंसियों (यथा सतर्कता निदेशालय/भ्रष्टाचार निवारण संगठन आदि) से मॉगे जायें उन्हें समय से सम्बन्धित स्तर से उपलब्ध करा दिया गया है।
7. यह सुनिश्चित करना कि उपचारी कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराये जाने में (या इस सम्बन्ध में परीक्षण में) विलम्ब न हो।

8. विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की तैनाती कराना एवं जॉच का कार्य समयबद्ध रूप से निस्तारित कराना।

9. यह सुनिश्चित करना कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट समय से मिल जाये तथा किसी स्तर पर भी अनावश्यक विलम्ब न किया जाय। यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी लोक सेवक यदि शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके मामले का निस्तारण उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व कर लिया जाये।

10. यह सुनिश्चित करना कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट का तुरन्त अनुशीलन हो जाये। नियुक्ति प्राधिकारी (डिसिप्लिनरी अथारिटी) से शीघ्र निर्णय कराना।

11. यदि कोई निलम्बित लोक सेवक 6 माह से अधिक समय से निलम्बित चल रहा है तो उसके प्रकरण की समीक्षा करना।

12. यदि आरोपी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया हो, या स्थगन आदेश प्राप्त किया हो तो त्वरित कार्यवाही कराकर न्यायालय में विभागीय पक्ष प्रस्तुत कराना, माननीय न्यायालयों द्वारा यदि कोई स्थगन आदेश पारित किये गये हों तो उसे निरस्त कराने की कार्यवाही कराना तथा मुकदमें की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना ।

****

प्रारूप संख्या-1

सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले त्रैमास में राजपत्रित/अराजपत्रित सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में छः माह से अधिक पुराने मामलों की स्थिति का संकलित विवरण (सतर्कता आयोग, उ0प्र0 लखनऊ/ में विवरण प्राप्त होने की तिथि 16 अगस्त, 15 फरवरी 15 मई है, इस विवरण में छः माह से अधिक सभी पुराने मामलों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

त्रैमास के प्रारम्भ में लम्बित विभागीय कार्यवाही की संख्या (आरोपित अधिकारी का			चालू त्रैमास में आरम्भ किये गये मामलों की संख्या	क्या सरकारी सेवक/कर्मचारी निलम्बित है यदि हॉ तो छः माह से पुराने निलम्बन के मामलों की संख्या	त्रैमास में निस्तारित मामलों की संख्या	त्रैमास के अन्त में अवशेष मामलों की संख्या	तीन सबसे पुराने मामलों का नाम तथा तिथि	विलम्ब का कारण
नाम	पदनाम	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/स्थानीय

निकाय के प्रशासक/उपाध्यक्ष/सार्वजनिक

उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर

प्रारूप संख्या-2

31 मार्च को समाप्त होने वाले त्रैमास में प्राप्त शिकायतों का विवरण

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले त्रैमास में प्राप्त शिकायतों का विवरण सतर्कता आयोग, उ0प्र0 लखनऊ में विवरण प्राप्त होने की तिथि 16 अगस्त, 15 नवम्बर, 15 फरवरी व 15 मई है।

शिकायतों की संख्या			शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गयी			अन्य कार्यवाही	त्रैमास में निस्तारित कुल शिकायतों की संख्या	त्रैमास के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या	6 मास से ऊपर लम्बित शिकायतों का विवरण
पूर्व से लम्बित	वर्तमान त्रैमास में प्राप्त	योग	प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त निक्षेप	सीआईडी सतर्कता अधिष्ठान को संदर्भित	जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हुई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<u>प्रारूप संख्या-3</u>

विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा भेजी जाने वाली त्रैमासिक सूचना

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा भेजी जाने वाली त्रैमासिक सूचना का प्रारूप (त्रैमासान्त)

1- सचिवालय स्तर पर तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पदनाम

2- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पदनाम

3- विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रम /निगम में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी नाम एवं पदनाम

संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले सेवकों की (सील्ड लिस्ट)	अनुशासनिक मामलों की संख्या	कार्यवाही स्थिति कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	लम्बित वर्तमान स्थिति	त्रैमास के प्रारम्भ में लम्बित	लम्बित शिकायतों की सूची			त्रैमास में लम्बित शिकायतें	भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु विभाग से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली के अध्ययन उपरान्त सुझाव
					त्रैमास में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतों की संख्या	कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप संख्या-4

अन्वेषण के मामलों संबंधी सूचना

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

1- सचिवालय स्तर पर तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

2- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

3- विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रम /निगम में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी नाम एवं पदनाम

कितने मामलों में अन्वेषण का कार्य चल रहा है	कितने समय से लम्बित है (प्रकरण प्रारम्भ की तिथि दी जाएं)	लम्बित होने के कारण

प्रारूप -5

अभियोजन संबंधी सूचना

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

1- सचिवालय स्तर पर तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

2- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

3- विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रम /निगम में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी नाम एवं पदनाम

आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के नाम, जिनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृत मांगी गई है	अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त। अप्राप्त	यदि अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो तो अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है अथवा अपूर्ण है, यदि अपूर्ण है तो कारण दिये जाए

प्रारूप -6

दण्डन कार्यवाही संबंधी सूचना

त्रैमासान्तः

कार्यालय का नाम

1- सचिवालय स्तर पर तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

2- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम एवं पद नाम

3- विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रम /निगम में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारी नाम एवं पदनाम

उन मामलों की संख्या जिसमें जांच पूर्ण कर ली गई है	दण्ड की कार्यवाही की गई अथवा नहीं	यदि उन्मुक्त हो गये है, तो उन्मुक्त किये जाने के कारण

संख्या-272/39-4-2001-42(340) /86-2001

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ :दिनांक 2 फरवरी, 2001

विषयः- प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशकों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया जाना।

महोदय,

1- जैसा कि आप अवगत ही हैं, शासन जनता को स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से विभागों, कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों व उपक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों को "मुख्य सतर्कता अधिकारी" के रूप में नामित भी किया जाता रहा है। इस विषय पर आपका ध्यान मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 705/39 (4)-42(340)/86 दिनांक 31 मार्च, 1990 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करते हुए निर्देश

दिये गये थे। इस शासनादेश के अनुसार सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव द्वारा संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को तथा इसी प्रकार विभागाध्यक्ष के स्तर पर तथा सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, शीर्ष सहकारी संस्थाओं/प्राधिकरणों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाये। इसी आशय के निर्देश पुनः सतर्कता विभाग के पत्र संख्या- 774/39-4-2000 दिनांक 03.06.2000 में दोहराये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में शासन की अपेक्षा यह थी कि उक्त अधिकारी सतर्कता सम्बन्धी विभाग में विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक (जैसी भी स्थिति हो) सहायतार्थ सिद्ध होंगे, परन्तु सतर्कता सम्बन्धी कार्य में स्वच्छ प्रशासन बनाए रखने हेतु मुख्य उत्तदायित्व व जवाबदेही सर्वोच्च अधिकारी की बनी रहेगी। लेकिन यह अनुभव किया गया है कि विभाग/कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी प्रायः सतर्कता सम्बन्धी कार्य में स्वयं पर्याप्त समय नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति कदाचित इस कारण उत्पन्न हुई है कि विभाग/कार्यालय में इस कार्य हेतु उनके अधीनस्थ एक अधिकारी तो विशिष्ट रूप में नामित है ही। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

3- मुझसे उक्त संदर्भ मे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का अन्ततः दायित्व प्रशासकीय विभागों/उपक्रमों के सर्वोच्च अधिकारी का है। उनके द्वारा ही अपने विभाग की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को दृष्टि में रख कर इस दिशा में ठोस कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रसंग में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व में पारित आदेशों को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया

गया है कि समस्त प्रशासकीय विभागों, कार्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी को ही "मुख्य सतर्कता अधिकारी" नामित किया जाये।

4. इस परिवर्तन से अब यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग/कार्यालय के सवोच्च अधिकारी को यह पूरा अहसास रहेगा कि अपने कार्यक्षेत्र में स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने का मुख्य दायित्व अन्ततः उन्हीं का है।

5. इस सम्बन्ध में पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुए, शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को एतद्द्वारा उस विभाग का पदेन "मुख्य सतर्कता अधिकारी" नामित किया जाता है। जहां प्रमुख सचिव तैनात नहीं है वहां सचिव पदेन "मुख्य सतर्कता अधिकारी " होंगे।

6. उक्त के क्रम में आप से यह भी अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्तानुसार उनके कार्यालय/संगठनों में "मुख्य सतर्कता अधिकारी" नामित करते हुए औपचारिक आदेश जारी करने का कष्ट करें। उनके नाम, पदनाम, आवासीय पता तथा टेलीफोन नम्बर (कार्यालय तथा आवास दोनों) का शासन के सतर्कता विभाग को एक सप्ताह के अन्दर संलग्न प्रोफोर्मा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. इस पत्र के प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व शासनादेशों के अन्तर्गत जो अधिकारी अभी तक "मुख्य सतर्कता अधिकारी" के रूप में नामित थे वे तात्कालिक प्रभाव से उस विभाग/कार्यालय/निगम/उपक्रम के "सतर्कता अधिकारी" के रूप में जाने जायेंगे, और वे "मुख्य सतर्कता अधिकारी" को भ्रष्टाचार निवारण व सतर्कता सम्बन्धी कार्यो में पूर्व की भांति सहयोग देते रहेंगे। सतर्कता अधिकारी अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नोडल आफिसर के रूप में भी कार्य करेंगे। इस हेतु वे सतर्कता अधिष्ठान व भ्रष्टाचार

निवारण संगठन से भी सम्पर्क बनाये रखेंगे। इस संबंध में प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सतर्कता अधिकारी का नामांकन किया जा चुका है। उक्त नामों की सूची सतर्कता विभाग को संलग्न प्रोफार्मा में कृपया एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

8 आशा है कि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लक्ष्य की पूर्ति में आपका प्रभावी योगदान होगा।

भवदीय

ह0/-

(भोला नाथ तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या-- 272 (1)/39-4-42(340)/86-2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अध्यक्ष सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण उ0प्र0।

2- निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी जॉचकर्ता।

4- महा निदेशक सार्वजनिक उद्यम व्यूरों, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/-
(अजित सेठ)
सचिव।

संख्याः 1175/39-4-2001-42(340)86.

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ :दिनांक 25 मई, 2001

विषयः- मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व।

महोदय,

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-705/39-4-42(340)/86 दिनांक 31 मार्च, 1990 के अनुक्रम में शासनादेश सं0- 272/39-4-2000-42(340)/86-2001 दिनांक 01-02-2001 में समस्त प्रशासकीय विभागों कें प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को ही मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त शासनादेश में यह

भी व्यवस्था की गई है कि सभी विभागों के सर्वोच्च अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने के फलस्वरूप उन्हें यह अहसास रहेगा कि उनके विभाग में स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने का मुख्य दायित्व अंततः उन्हीं का है। साथ ही विभाग में नामित सतर्कता अधिकारी अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण व सतर्कता संबंधी कार्यों में पूर्व की भांति सहयोग देते रहेंगे। सतर्कता अधिकारी अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश सं0-705/39-4-42(340)/86 दिनांक 31.03.90 को अतिक्रमित करते हुए सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व समग्र रूप से निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

विभिन्न विभागों में नामित किये गये सतर्कता अधिकारियों के नाम सतर्कता विभाग की वेबसाईट upgov.up.nic.in/upvigilance में प्रदर्शित है। नामों में कोई परिवर्तन/संशोधन होने की स्थिति में सतर्कता विभाग को अवश्य सूचित कर दिया जाय।

आपसे अनुरोध हे कि कृपया अपने विभाग/कार्यालय में उपरोक्त दिशा निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
(भोला नाथ तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1175(।)/39-4-2001,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

2. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊ।

3. समस्त राजकीय निगम/उपक्रम/प्राधिकरण/शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

4. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह0/-

(अजित सेठ)

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

(रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी,
सतर्कता अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन

सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्य

1. विभाग की प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों का निवारण करना जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार, विलम्ब या जनता का उत्पीड़न होता है, तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।

2. अपने विभाग के उन संवेदनशील बिन्दुओं पर सतर्क/पैनी नजर रखना जहॉ भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की सम्भावना हो।

3. विभाग/कार्यालय में सतर्कता दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व अंततः तो मुख्य सतर्कता अधिकारी का है। परन्तु उनकी सहायता हेतु नामित सतर्कता अधिकारी अपने विभाग/कार्यालय में "भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (corruption prevention unit) के नोडल आफिसर के रूप में कार्य करेंगे। सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को अभिदिृष्ट मामलों में, या इस प्रकार के मामलों के समकक्ष विभाग में विचाराधीन अन्य मामलों में, एक "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रसंग में वह सतर्कता विभाग से समन्वय का बिन्दु भी होंगे और प्रमुख सचिव/सचिव, सतर्कता विभाग को आवश्यक प्रगति सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे और अपने विभाग से संबंधित सतर्कता कार्य में उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे। महत्वपूर्ण व

विशेष रूप से निर्दिष्ट प्रकरणों में विभागीय सतर्कता अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से नियमित रूप से सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें सीधे प्रगति से अवगत करायेंगे व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

4. यह अनुश्रवण करना कि जॉचों के संबंध में जो अभिलेख विभिन्न जॉच एजेन्सियों (यथा सतर्कता निदेशालय/भ्रष्टाचार निवारण संगठन आदि) से मांगे जाएं उन्हें समय से संबंधित स्तर से उपलब्ध करा दिया गया है।

5. प्रारम्भिक जॉच हेतु जो प्रकरण सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को संदर्भित किए जाते हैं, उन पर त्वरित रूप से जॉच कराकर संस्तुति भिजवाना सुनिशचित करेंगे।

6. यह सुनिश्चित करना कि अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराये जाने में (या इस संबंध में परीक्षण में) विलम्ब न हो।

7. विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में जॉच अधिकारी की तैनाती कराना।

8. यह सुनिश्चित करना कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट समय से मिल जाए तथा किसी स्तर पर भी अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। यह सुनिशचित करना कि आरोपी लोक सेवक यदि शीघ्र सेवानिवृत्त हो

रहा है तो उसके मामलें का निस्तारण उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व कर लिया जाए।

9. जॉच अधिकारी की रिपोर्ट का तुरन्त अनुशीलन हो जाए यह सुनिशचित करना तथा उस पर नियुक्ति प्राधिकारी (डिसिप्लिनरी एथॉरिटी) से शीघ्र निर्णय कराना।

10. विभाग में निलम्बित लोक सेवक यदि 6 माह से अधिक समय से निलम्बित चल रहा है तो उसके प्रकरण की समीक्षा करना।

11. सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी भेजी गई संस्तुतियों पर प्रभावी कार्यवाही करना एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर सतर्कता विभाग को परिणाम से अवगत कराना।

12. यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया हो, या स्थगन आदेश प्राप्त किया हो तो त्वरित कार्यवाही कराकर न्यायालय में विभागीय पक्ष प्रस्तुत कराना, मा0 न्यायालयों द्वारा यदि कोई स्थगन आदेश पारित किए गए हों तो उसे निरस्त कराने की कार्यवाही कराना तथा मुकदमे की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना।

13. मुख्य सतर्कता अधिकारी का विशेष दायित्व है संदिग्ध अधिकारियों /कर्मचारियों की पहचान करना और उन पर निगरानी की समुचित व्यवस्था करना, और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की "एग्रीड लिस्ट"तैयार करना।

14. कर्मचारी आचरण नियमावली के उन समस्त प्राविधानों का, जिसका सत्यनिष्ठा से संबंध हो, जैसे चल-अचल सम्पत्ति, उपहार, लेन देन, सौदों आदि के ब्यौरा का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

15. अपने विभाग की विशिष्ट (department specific) भ्रष्टाचार निवारण रणनीति तैयार कराना।

16. विभाग से संबंधित विभिन्न सम्परीक्षा रिपोर्ट/लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का सनिरीक्षण करना।

17. मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने अधीनस्थ सतर्कता अधिकारी से विवेकानुसार विभागीय सतर्कता संबंधी कार्य से जुड़ी जो उत्तरदायित्व सौंपना चाहें।

18. सतर्कता संबंधी कार्य से जुड़ी संस्थाओं से नियमित संपर्क रखना।

अ0शा0प0सं0: 1779/39-4-2001-42 (340)86

अजित सेठ
प्रमुख सचिव

सतर्कता अनुभाग-4
लखनऊः दिनांक 25 जुलाई,2001

प्रिय महोदय,

प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने विषयक शासनादेश सं0-272/ 39-4-2001-42 (340)/86, दिनांक 2 फरवरी, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जैसा कि आप अवगत है, प्रत्येक विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी (सचिवालय में प्रमुख सचिव अथवा सचिव तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में विभागाध्यक्ष (को शासन द्वारा अपने विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया है। इसके अतिरिक्त, आपको अपने विभाग में एक सतर्कता अधिकारी नामित करना है, जो सामान्यतः विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के होंगे।

2. चूंकि हाल में अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए है, अतः सूची को अद्यावधिक करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

3. इस संबंध में आपसे यह कहने की मुझसे अपेक्षा हुई है कि कृपया अपने विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी तथा उनके कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोन नम्बर सहित सूचना निम्न प्रारूप में सतर्कता अनु0-4 को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।--

<u>प्रारूप</u>

मुख्य सतर्कता/सतर्कता अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग	कार्यालय/आवासीय टेलीफोन नम्बर

सादर

भवदीय

ह0/-

(अजित सेठ)

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

अर्द्ध शा0प0सं0-818/39-4-94-42,(442), 90

उत्तर प्रदेश शासन
सतर्कता अनुभाग-4

अरविन्द वर्मा,
प्रमुख सचिव।

लखनऊः दिनांकः 23 मई, 1994

प्रिय महोदय,

समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा की जा रही आन्तरिक सतर्कता की समीक्षा एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही की प्रगति में आने वाली बाधाओं के निवारण हेतु अध्यक्ष, सतर्कता आयोग के तत्वाधान में त्रैमासिक बैठकें आयोजित किये जाने विषयक श्री राम कुमार भार्गव, मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 234/39-4-42,442,/90, दिनांक 24 मार्च, 1990 तथा सचिव, सतर्कता विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 42/39-4-93-42(442)/90, दिनांक 16 जनवरी, 1993 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें इनमें शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगणों एवं समस्त विभागाध्यक्षों को यह निर्देशित किया गया था कि समस्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक त्रैमास के अन्त में निर्धारित 7 प्रपत्रों में सूचना तीन प्रतियों में अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उत्तर प्रदेश एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायें।

2- इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 24 मार्च, 1990 में निर्धारित 7 प्रपत्रों के स्थान पर अब तीन प्रपत्रों में सूचना उपलब्ध करायी जाये एवं तीन प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न है। अतएवं कृपया अपने नियंत्रणाधीन मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे प्रत्येक त्रैमास के अन्त में इन तीन प्रपत्रों पर अपेक्षित सूचना तीन -तीन प्रतियों में सीधे अध्यक्ष, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ

को भेजते हुये उसकी एक प्रति प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग को भी उपलब्ध करायें। आगामी 30 जून, 1994 को समाप्त होने वाले त्रैमास से इन प्रपत्रों का उपयोग किया जाये।

भवदीय
ह0/-
(अरविन्द वर्मा)
मुख्य सचिव।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से),

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-818(1)/39-4-94-42(442)/90, तद् दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 510/- स0आ0-94, दिनांक 17 मार्च, 1994 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कृपया जून,1994 के त्रैमास के बाद तुरन्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक आयोजित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/-
(अरविन्द वर्मा)

श्री देशराज सिंह,
अध्यक्ष,
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-818(।।)/39-4-94-42(442)/90, तद् दिनांक

प्रिय महोदय,

मुझसे उपरोक्त की प्रति संलग्नक सहित आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ह0/-

(अजय कुमार ढोंडियाल)

सतर्कता निदेशक/समस्त विभागाध्यक्ष
एवं समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

<u>गोपनीय</u>

डा0 वी0के0 सक्सेना,
मुख्य सचिव।

अर्द्धशा0प0सं0-1262/39-4-91-41(425)/89
उत्तर प्रदेश शासन
सतर्कता अनुभाग-4
लखनऊ : दिनांक : 30 अप्रैल, 1991

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं स्वच्छ एवं व्यवस्थित प्रशासन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। सरकार द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता संवेदनशील प्रशासन पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं इससे जनमानस में सरकार के प्रति आस्था बढ़ती है। किन्तु भ्रष्टाचार इस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हीं कारणों से भ्रष्टाचार उन्मूलन के काय्रक्रम को प्रथम सूत्र के रूप में 21 सूत्रीय कार्यक्रम में स्थान दिया गया है।

2. जैसा कि मेरे पूर्वाधिकारी के पत्र संख्या-2802/31-90-59/89, दिनांक 31 जुलाई, 1990 में स्पष्ट किया जा चुका है, भ्रष्टाचार उन्मूलन मुख्यतया सम्बंधित विभागों एवं आपका दायित्व हैं। लोक सेवकों द्वारा निष्क्रियता, घूसखोरी, दुराचरण, दुव्यवहार या अन्य कादाचार के मामले भ्रष्टाचार, के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार के मामलों में आपके स्तर से त्वरित कार्यवाही भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने एवं उसका उन्मूलन करने की दिशा में काफी सहायक होगी। इसी

उद्देश्य को लेकर आपकी सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात किये जाने का निर्णय लेते हुए शासनादेश संख्या- 705/39(4)-42(340)66, दिनांक 31 मार्च, 1990 द्वारा इस सम्बंध में विस्तृत ओदश जारी किये गए हैं।

3. यदि भ्रष्टाचार सम्बंधी किसी मामले में आप यह समझते हैं कि मामला काफी जटिल और गम्भीर है या उसमें एक से अधिक विभागों के लोक सेवक अन्तग्रस्त हैं या उसमें भारत सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों के कर्मचारी गैर सरकारी व्यक्ति आदि शामिल हैं जिससे विभागीय स्तर से जांच की कार्यवाही सम्भव नहीं है, या आरोप आपराधिक प्रकृति के होने कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, के अन्तर्गत अन्वेषण की आवश्यकता है, तो सतर्कता अधिष्ठान/भ्रष्टाचार निवारण संगठन जैसी विशिष्ट एजेन्सी को जांच सौंपनी होगी। सतर्कता अधिष्ठान से यदि जांच कराना हो तो पहले से उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग के माध्यम से आप सतर्कता जांच का प्रस्ताव राज्य सतर्कता समिति के आदेशार्थ भेज सकते हैं। सामान्यतया राजपत्रित अधिकारियों एवं समकक्ष लोक सेवकों के सम्बंध में ही भ्रष्टाचार सम्बंधी आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध किया जाना चाहिये।

4. अराजपत्रित कर्मचारियों एवं अन्य समकक्ष लोक सेवकों के सम्बंध में आप स्वयं सीधे पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन,

लखनऊ से भ्रष्टाचार सम्बंधी आरोपों की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। किन्तु इस प्रकार का अनुरोध करने के पूर्व आप स्वयं आश्वस्त हो लें कि जैसा कि उक्त प्रस्तर-3 में वर्णित है मामले की सुचारू रूप से जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने का पूर्ण औचित्य है। इस बात का कृपया ध्यान रखें कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच विभागीय जांच का विकल्प नहीं हे एवं पर्याप्त आधार होने पर ही आपके द्वारा जांच उन्हें सौंपी जाये ताकि भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जाने वाली जांच की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार की समस्या को नियंत्रित करने तथा उसका उन्मूलन करने में शासन को आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

भवदीय

ह0/-

(डा0 विजय कृष्ण सक्सेना)

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला मैजिस्ट्रेट (नाम से)
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गोपनीय/महत्वपूर्ण

संख्या-705/39 [4] -42[340]/86

प्रेषक,

श्री राज कुमार भार्गव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव,
सचिव, विशेष सचिव, एवं
समस्त विभागाध्यक्ष।

सतर्कता अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 1990**

महोदय,

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1361/उन्तालिस (4)/87-42(340)/87, दिनांक 26 जून, 1987 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/उन्तालिस (4)/87-42(340)/87, दिनांक 13 अप्रैल, 1986 में निहित ओदशों को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही तथा विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों एवं समस्त सार्वजनिक अपक्रमों/निगमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात किये जाए। इस हेतु उपलब्ध अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को जो सत्यनिष्ठ हो, सामान्य ख्याति अच्छी हो और जिसके विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जाँच न चल रही हो, मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित कर दिया जाय।

2- सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव द्वारा संयुक्त सचिव व उससे उच्चतर अधिकारी को, विभागाध्यक्ष के स्तर पर विभागाध्यक्ष द्वारा तथा सार्वजनिक

उद्देश्यों/निगमों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाय।

3. मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नामित किये जाने की कार्यवाही पर सर्तकता सचिव को सूचित किया जायेगा। सतर्कता सचिव को यदि कोई आपत्ति नामित किये गये अधिकारी के सम्बन्ध में होगा तो उनके परामर्श से अन्य उपयुक्त अधिकारी को नामित किया जायेगा।

4. मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे:-

(1) प्रचलित प्रक्रिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर रहे उन कारणों का निवारण कराना जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार, विलम्ब या जनता का उत्पीड़न होता हो।

(2.) सत्यनिष्ठा की दृष्टि से संदिग्ध अधिकारियों/कर्मियों की पहचान करना और उन पर निगरानी की व्यवस्था करना और साथ ही संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले ऐसे समस्त व्यक्तियों की "एग्रीड लिस्ट" तैयार कराना।

(3) विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम में जो जॉच व अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉ विचाराधीन है, उनके बारे में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा (रिव्यू) व अनुश्रवण (मानीटरिंग) करना

(4) अन्य एजेन्सीज को अभिदृष्ट जॉचों/विवेचनाओं में सहायता देना तथा उनके द्वारा की गयी जाँचों/विवेचनाओं के फलस्वरूप दण्डात्मक कार्यवाही समुचित और समयबद्ध ढंग से करवाना।

(5) विभाग/कार्यालय/उपक्रम/निगम में भ्रष्टाचार की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को निर्धारित करना ताकि वहॉ उपयुक्त अधिकारी ही नियुक्त किये जायें एवं आवश्यकता के अनुसार वहॉ आकस्मिक निरीक्षण, चेकिंग आदि हो सके।

(6) कर्मचारी आचरण नियमावली के उन समस्त प्राविधानों का, जिनका सत्यनिष्ठा से सम्बन्ध हो, जेसे चल-अचल सम्पत्ति विषयक ब्यौरा, उपहार,लेन-देन,सौदों आदि के अनुपालन सुनिश्चित करना आदि।

(7) सतर्कता विभाग द्वारा देखें गये मामलों में या उनके समक्ष विचाराधीन मामलों में या उनको अभिदिष्ट किये जाने वाले मामलों में विभाग की ओर से एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कराना।

5- विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या विभागाध्यक्ष (प्रबन्ध निदेशक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा वे प्रत्येक त्रैमास के अन्त में कृत कार्यवाही की समीक्षा करके आख्या शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

6- शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी प्राप्त आख्या पर अपने सुझावों से विभागीय सचिव को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायेंगे सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा अपने स्तर पर प्रत्येक त्रैमास भ्रष्टाचार निवारण के सम्बन्ध में कार्यवाही/सुझावों की समीक्षा की जायेगी तथा अपनी आख्या समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष, सतर्कता आयोग/सचिव, सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त आख्याओं तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य की प्रगति की त्रैमास समीक्षा अध्यक्ष, सतर्कता आयोग के तत्वाधान में की जायेगी।

भवदीय

ह0/-

(राज कुमार भार्गव)

मुख्य सचिव।

<u>सं0-705(1)/39(4)-42(340)/86, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- राज्य के समस्त उद्यमों के प्रबन्ध निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।

भवदीय

ह0/-
(राज कुमार भार्गव)
मुख्य सचिव।